



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 89(34) उ.मा.वि./भर्ती प्रकोष्ठ/2022/पार्ट-II

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 28 उप धारा (2) के खण्ड (क) सपठित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020, समय-समय पर यथासंशोधित, के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को उनके सम्मुख अंकित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला आयोग) का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पुरुष/महिला	नाम जिला आयोग
1.	श्री कन्हैया लाल जोगी पुत्र श्री ब्रजमोहन लाल जोगी	पुरुष	दौसा
2.	श्री हेमन्त धारीवाल पुत्र श्री एन.सी. धारीवाल	पुरुष	चूरू
3.	श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा	पुरुष	जयपुर (चतुर्थ)
4.	श्री आलोक उपाध्याय पुत्र श्री रामबाबु उपाध्याय	पुरुष	भरतपुर
5.	श्रीमती सुमन गौड पाण्डेय पत्नी श्री दिलीप पाण्डेय	महिला	उदयपुर
6.	श्री अरूण कुमार पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह	पुरुष	धौलपुर
7.	श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री ब्रह्मदेव राव	पुरुष	करौली
8.	श्री राज कुमार सुथार पुत्र श्री भोज राज	पुरुष	जोधपुर (प्रथम)
9.	श्री यतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री गोविन्द राम शर्मा	पुरुष	जोधपुर (द्वितीय)
10.	श्री घनश्याम यादव पुत्र श्री रणजीत सिंह यादव	पुरुष	जालौर
11.	श्री पवन कुमार ओझा पुत्र श्री मनोहर लाल ओझा	पुरुष	जैसलमेर
12.	श्री रजनीश कुमार सिंह पुत्र श्री ब्रज नारायण सिंह	पुरुष	डूंगरपुर
13.	श्री अरूण कुमावत पुत्र श्री नवल किशोर	पुरुष	अजमेर
14.	श्री प्रशान्त शर्मा पुत्र श्री सत्यनाराण शर्मा	पुरुष	टोंक
15.	श्री अजय कुमार बंसल पुत्र श्री बनवारी लाल बंसल	पुरुष	सीकर
16.	श्री चन्दना राम चौधरी पुत्र श्री बिरधा राम चौधरी	पुरुष	बाडमेर
17.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बट्टी प्रसाद शर्मा	पुरुष	राजसमन्द
18.	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री जगत सिंह	पुरुष	बांरा
19.	श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री पीतम सिंह	पुरुष	बून्दी
20.	श्री जगमोहन अग्रवाल पुत्र श्री योगराज तायल	पुरुष	चित्तौडगढ़

उपरोक्त नियुक्तियाँ निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगी: -

- उक्त नियुक्तियाँ कार्यभार संभालने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा अन्य आदेश तक; जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये है।
- उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले,
 - संपत्ति और देनदारियों और वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा करेगा,
 - मेडिकल फिटनेस के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल शारीरिक

- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,
- (3) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम- 6 (13) के तहत नियुक्ति से पूर्व चयनित अभ्यर्थी एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं हैं अथवा नहीं होंगे, जिनमें अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो,
 - (4) यदि अभिभाषक वर्ग से है, तो कार्यभार संभालने की तिथि से पूर्व एवं नियुक्ति अवधि के दौरान तक की अवधि के लिये अपनी सनद/रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र का निलंबन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,
 - (5) यदि जिला न्यायालय के कार्यकारी पीठासीन अधिकारी या किसी अधिकरण में समकक्ष स्तर या जिला न्यायालय और अधिकरण के साथ संयुक्त रूप से काम करने वाले न्यायिक अधिकारी हैं तो सक्षम अधिकारी से जारी मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,
 - (6) यदि किसी शासकीय आयोग/न्यायाधिकरण में किसी पद पर नियुक्त होकर कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी से जारी मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,
 - (7) उसकी जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कराएगा,
 - (8) निर्धारित प्रपत्र में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और सदस्यता लेगा, उक्त शर्त की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति को पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को मानदेय/वेतन और भत्ते, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ते तथा चिकित्सा उपचार हेतु अवकाश और अस्पताल की सुविधा इत्यादि **Rajasthan Consumer Protection (Salary, Allowances and Conditions of Service of the President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2021** एवं इसके तहत समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों के अनुसरण में देय होंगे।
4. उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति,
- (1) राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के लिए निर्धारित प्रत्येक कार्य दिवस के दौरान कार्यकारी समय में उसके पदस्थापन कार्यालय में उपस्थित रहेगा,
 - (2) बिना अवकाश स्वीकृत कराए अथवा बिना सूचना स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं रहेगा।
5. उक्त नियुक्त व्यक्तियों में से अभिभाषक वर्ग का व्यक्ति उसकी नियुक्ति के कार्यकरण या नियुक्ति अवधि के दौरान तथा पद से हटने के बाद, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग के समक्ष वह अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रेक्टिस) नहीं करेगा।
6. उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उसकी नियुक्ति के कार्यकरण या नियुक्ति अवधि के दौरान और उसके पदस्थापन की क्षमताओं में कार्य करते हुए,
- (1) कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेगा,
 - (2) यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित है, तो वह इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर कार्य नहीं करेगा,
 - (3) किसी भी व्यावसायिक सेवा प्रदाता; यथा, अकाउंटेंट/चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, अभिभाषक और शिक्षक इत्यादि के रूप में पेशेवर सेवा का कार्य नहीं करेगा,
 - (4) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सेवा के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा,
 - (5) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और इनके अधीन जारी नियमों के अन्तर्गत, अध्यक्ष, संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर, तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा, उक्त शर्त की अवहेलना किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को उसके धारित पद से हटाया जा सकेगा।
7. राज्य सरकार, उक्त नियुक्त व्यक्तियों के उक्त पदस्थापन के अलावा अन्य जिला आयोग में प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित कर सकेगी या किसी जिला आयोग में पदस्थापन के साथ-साथ अन्य जिला आयोग के कार्य को भी संपादित करने के लिए अधिकृत किया जा सकेगा।

8. उक्त नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इनके अधीन बनाये गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों से विनियमित होगी। उक्त नियुक्त व्यक्तियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
9. यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 06(11) के अनुसार प्रमाण पत्रों, पूर्ववृत्तों/ पुलिस सत्यापन के अधधीन रहेगी।
10. उक्त नियुक्ति व्यक्ति स्पष्ट रिक्तियों के आलोक में यथाशीघ्र (अधिकतम 07 कार्यदिवस में) अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर के समक्ष कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा ऐसा करने में विफल रहने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति का यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुबीर कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. महालेखाकार परीक्षक, (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
10. निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
11. पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
12. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, समस्त।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर।
14. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
15. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
16. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
17. उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय) उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
18. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
19. समस्त संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, राजस्थान।
20. समस्त जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी (जिला रसद अधिकारी), राजस्थान।
21. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग/उपभोक्ता मामले विभाग को राजस्थान के गजट में आज ही प्रकाशित करवाने के लिए।
22. संबंधित।
23. रक्षित पत्रावली।